

पंचा डिक्री  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

पिनो:- 102 / 2026

1. सिकन्दर सिंह } पि0 जोगेन्द्र सिंह
2. मनप्रीत सिंह }
3. कुलदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
4. रमनदीप सिंह } पि0 बलविन्द्र सिंह
5. पवनदीप सिंह }

जाति रामगढ़िया निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप जाति रामगढ़िया निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र प्रताप सिंह
3. बलविन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह } जाति रामगढ़िया निवासीयान सालीवाला तहसील
4. रणजीत कौर पत्नी प्रतापसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. सतवीर कौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति रामगढ़िया निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. कर्मजीत कौर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी लाभसिंह जाति रामगढ़िया निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा।
7. परमजीत कौर पुत्री प्रताप सिंह पत्नी गुरतेज सिंह जाति रामगढ़िया निवासी कुण्डल तहसील व जिला फाजिल्का।
8. सुखविन्द्र कौर पुत्री प्रतापसिंह जाति रामगढ़िया निवासी सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. बलजीत कौर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी गुरमीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चन्नू जिला मुक्तसर।
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक 23/3/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीत सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क.वादीसं० 1 सिकन्दर सिंह व वादी सं० 2 मनप्रीत सिंह को बंदिबं व प्राप्त आराजी :- चकनं० 7 एसबीएन के खाता सं० 88/75 के प०न० 200/200 मु० 14 किलानं० 11/224 हैं० दक्षिणी-पूर्वी कॉर्नर, 20/241 पूर्व दिशा, 21/241 हैं० पूर्व दिशा, प०न० 200/201 म० 15 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025, 2/1/.228, 15 किलानं० 2/2/.025, 9/.159 हैं० उत्तरी दिशा में


उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
टिब्बी

ख. वादी सं० 3 कुलदीप सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 7 एसबीएन के खाता सं० 88/75 के प०न० 200/201 मु० 15 किलानं० 9/.094 है० दक्षिण दिशा, 12,19/.506, 22/0.139 है०

ग.वादीसं० 4 रमनदीप सिंह व वादी सं० 5 पवनदीप सिंह को व०हि०व० प्राप्त आराजी- चकनं० 7 एसबीएन के खाता सं० 88/75 के प०न० 200/199 मु० 1 किलानं० 10/.038 है० दक्षिण दिशा, 11, 20, 21/.759 है०, प०न० 200/200 मु० 14 किलानं० 1/.253, 10/.253, 11/.029 है० (वादी सं० 1 व 2 के हिस्सा को छोड़कर), 20/.012 है० पश्चिम हिस्सा, 21/.012 है० पश्चिमी हिस्सा,

घ. प्रतिवादीसं० 1 महेन्द्र सिंह को प्राप्त आराजी- चकनं० 8 एसबीएन के खाता सं० 67/22 के प०न० 200/202 मु० 13 किलानं० 4/2/.076, 8/.253, 9/.253 कुल 0.5820 है० के खातेदा का तकार घोषित किये जाते है व चकनं० 7 एस. बी. एन के खाता सं० 88/75 व चकनं० 8 एस.बी.एन के खाता सं० 67/22 में प्रताप सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकवे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।  
(संलग्न सचिव R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

